न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 12/2017/प्रार्थना पत्र मुंतकिली

सीताराम पुत्र भींवाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम नानी, तहसील व जिला सीकर।

प्रार्थी

बनाम

1. मोहम्मद आमीन पुत्र इस्माईल, जाति व्यापारी मुसलमान, निवासी ग्राम नानी, तहसील व जिला सीकर।
2. नारायण पुत्र भींवाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम नानी, तहसील व जिला सीकर।
3. सुरेश पुत्र फूलसिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम नानी, तहसील व जिला सीकर।

अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री महेश जाखड़ अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री बनवारी लाल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

प्रार्थना पत्र मुंतकिली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक : 30 जनवरी, 2018

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मुन्तकिली के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार होना अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के विरूद्व एक आवेदन पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय एसडीओ सीकर में प्रस्तुत कर रखा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को परेशान करने के लिए अपने खेत खसरा नम्बर 733 तन नानी मे आवागमन करने का रास्ता खसरा नम्बर 1485/737 तन ग्राम नानी में से होकर मौके पर मौजूद है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 खसरा नम्बर 732 में से रास्ता कायम करना चाहता है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 रास्ता सदैव से ही खसरा नम्बर 1485/737 में से होकर रहा है। जिसको स्वयं अप्रार्थी ने स्वीकार किया है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 732 में से कभी रास्ता नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 एसडीओ सीकर के रीडर अयुब खान से मिला हुआ है तथा प्रार्थी जब भी न्यायालय में उपस्थित होते हैं, तो रीडर एसडीओ सीकर अयूब खान प्रार्थी को

खुली धमकी देता है कि यह फैसला मैं एसडीओ साहब से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में करवा कर रहुंगा। तथा एसडीओ साहब भी रीडर के प्रभाव में हैं तथा रोज तारीख डालकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में फैसला करवाना चाहता है। तथा मनमाने तरीके से ऑर्डर शीट लिखकर कानूनी प्रावधानों का उल्लघंन कर रहा है, जिस कारण से प्रार्थी ने राजस्व मण्डल में पूर्व एसडीओ सीकर के विरूद्व प्रा. पत्र मुन्तकिली प्रस्तुत कर रखी थी लेकिन उनके हस्तान्तरण से उक्त आवेदन पत्र प्रभावहीन हो गया। वकील प्रार्थी ने कभी भी न्यायालय एसडीओ सीकर के समक्ष बहस हेतु उपस्थित नहीं हुआ लेकिन रीडर एसडीओ सीकर ने मनमाने तरीके से वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, लिखकर उक्त पत्रावली को पहले से निर्णय हेतु आदेश लिख रखा है जिससे प्रार्थी को अब पूर्ण विश्वास हो गया तथा रीडर द्वारा बार –बार प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में फैसला करवाने की धमकी दे रहा है जिससे प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि एसडीओ सीकर रीडर के प्रभाव में है। एसडीओ सीकर के आदेश के मुताबिक उक्त प्रकरण में तहसीलदार सीकर की रिपोर्ट आ चुकी है। जिसको मनमाने तरीके से रिपोर्ट दुबारा मंगवाने का आदेश कर दिया। इस प्रकार एसडीओ सीकर द्वारा बार–बार मनमाने आदेश देकर प्रार्थी की बहस सुने बिना ही लिखकर तथा तहसीलदार सीकर की रिपोर्ट को बिना कारण दुबारा मंगवाने के मनमाने आदेश पारित करने के कारण प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि एसडीओ सीकर रीडर के प्रभाव में प्रार्थी के साथ न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुकदमा नम्बर 169/2015 उनवान आमीन बनाम नारायण सिंह न्यायालय एसडीओ सीकर से किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने की आज्ञा फरमायी जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया तथा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली के संबंध में पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी 1 की ओर से वकील श्री बनवारी लाल शर्मा ने वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को परेशान करने के लिए अपने खेत खसरा नम्बर 733 तन नानी मे आवागमन करने का रास्ता खसरा नम्बर 1485/737 तन ग्राम नानी में से होकर मौके पर मौजूद है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 खसरा नम्बर 732 में से

रास्ता कायम करना चाहता है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 रास्ता सदैव से ही खसरा नम्बर 1485 / 737 में से होकर रहा है। जिसको स्वयं अप्रार्थी ने स्वीकार किया है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 732 में से कभी रास्ता नहीं है। वकील प्रार्थी ने कभी भी न्यायालय एसडीओ सीकर के समक्ष बहस हेतु उपस्थित नहीं हुआ लेकिन रीडर एसडीओ सीकर ने मनमाने तरीके से वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, लिखकर उक्त पत्रावली को पहले से निर्णय हेतु आदेश लिख रखा है तथा रीडर द्वारा बार —बार प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में फैसला करवाने की धमकी दे रहा है। एसडीओ सीकर के आदेश के मुताबिक उक्त प्रकरण में तहसीलदार सीकर की रिपोर्ट आ चुकी है। जिसको मनमाने तरीके से रिपोर्ट दुबारा मंगवाने का आदेश कर दिया। इस प्रकार एसडीओ सीकर द्वारा बार- बार मनमाने आदेश देकर प्रार्थी की बहस सुने बिना ही लिखकर रखा व तहसीलदार सीकर की रिपोर्ट को बिना कारण दुबारा मंगवाने के मनमाने आदेश पारित करने के कारण प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि एसडीओ सीकर रीडर के प्रभाव में प्रार्थी के साथ न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुकदमा नम्बर 169 / 2015 उनवान आमीन बनाम नारायण सिंह न्यायालय एसडीओ सीकर से किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने की आज्ञा फरमायी जाना प्रार्थनीय है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से लिखित जवाब पत्र प्रस्तुत कर अभिकथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में जाने हेतु सबसे नजदीक रास्ता खसरा नम्बर 732 में से पड़ता है इसलिए खसरा नम्बर 732 में से रास्ता कायम करने हेतु आवेदन पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 02.11.2016 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 17.11.2016 को कार्य की अधिकता होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित नहीं किया जा सका। उसके पश्चात तहसीलदार सीकर से जो रिकॉर्ड पेश हुआ था उसको सही प्रारूप में प्रस्ताव मंगाये जाने हेतु पुनः पत्रावली तहसीलदार सीकर को भेजी गई, तत्पश्चात तहसीलदार सीकर के द्वारा रिपोर्ट प्रस्ताव बनाकर दुबारा पेश की गई, जिस पर दिनांक 14.03.2017 को प्रार्थी द्वारा आपत्ति पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। उसके बाद कोई आपत्ति पेश नहीं की गई तथा दिनांक 22.03.2017 को ही राजस्व मण्डल अजमेर मे मुन्तकिली का आवेदन प्रार्थी द्वारा पेश किया गया, जिसमें तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सीकर सिराज अली जैदी के विरूद्व आवेदन पेश किया गया, जिनका स्थानान्तरण हो जाने के कारण उक्त मुन्तकिली आवेदन प्रभावहीन हो गया तथा पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत हो गयी। जिस पर काफी तारीख होकर करीब 3 महीने का समय उस

मुन्तकिली आवेदन के पश्चात हो गये हैं। उसके बावजूद भी पत्रावली में बहस नहीं की गई गयी। प्रार्थी के द्वारा गलत रूप से बार–बार गलत आधारों पर मुन्तकिली आवेदन पेश किये जा रहे हैं। जबकि न्यायालय विचाराधीन प्रकरणों में पीठासीन अधिकारी सुनकर ही आदेश पारित करते हैं तथा ऑर्डरशीट पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें रीडर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लगभग 11 बार तारीख पेशी वास्ते बहस हेतु अधीनस्थ न्यायालय में हो चुकी है, उसके बावजूद भी बहस नहीं करके गलत आधारों पर व गलत आरोप पेश करके पत्रावली में विलम्ब करना चाहते हैं। अतः प्रा. पत्र मुन्तकिली खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

6. वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस अवगत कराया कि वर्णित दावे में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सीकर सिराज अली जैदी के विरूद्व आवेदन पेश किया गया, जिनका स्थानान्तरण हो जाने के कारण उक्त मुन्तकिली आवेदन प्रभावहीन है। न्यायालय विचाराधीन प्रकरणों में पीठासीन अधिकारी सुनकर ही आदेश पारित करते हैं तथा ऑर्डरशीट पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें रीडर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लगभग 11 बार तारीख पेशी वास्ते बहस हेतु अधीनस्थ न्यायालय में हो चुकी है, उसके बावजूद भी बहस नहीं करके गलत आधारों पर व गलत आरोप पेश करके पत्रावली में विलम्ब करना चाहते हैं। अतः प्रा. पत्र मुन्तकिली खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिपपणी में अंकित किया है कि प्रकरण 251 का है। प्रकरण में 15.06.2016 को तहसीलदार सीकर से रास्ता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। जिस पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा उभय पक्षों की बहस सुन कर पुनः विधिवत रूप से प्रस्ताव भिजवाने का आदेश दिनांक 18.11.2016 को दिया गया था। इसके पश्चात दिनांक 28.12.2016 को रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु रखी गई थी। परंतु प्रार्थी द्वारा आपत्ति करने हेतु समय चाहता रहा तथा उसके पश्चात माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के खिलाफ मुन्तकिली आवेदन प्रस्तुत कर दिया। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के बाद दिनांक 22.03.2017 से इस पत्रावली में आदिनांक तक कोई बहस आदि कार्यवाही नहीं हुई है। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावे।

8. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है किः–

(1) वर्णित प्रकरण में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सीकर सिराज अली जैदी के विरूद्व आवेदन पेश किया गया, जिनका स्थानान्तरण हो जाने के बाद उक्त मुन्तकिली आवेदन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(2) न्यायालय पीठासीन अधिकारी द्वारा ही सुनवाई कर उनके द्वारा ही निर्णय पारित किये जाते हैं, जिसमें रीडर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा जारी आंशका आधारहीन एवं बेबुनियाद प्रतीत होती है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है।

10. निर्णय आज दिनांकः 30 जनवरी 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official